उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद की 203 वीं बैठक दिनांक 12 अगस्त, 2008

उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद की 203वीं बैठक परिषद अध्यक्ष श्री हरमिन्दर राज सिंह की अध्यक्षता में हुई जिसमें निम्न उपाध्यक्ष एवं सदस्यगण उपस्थित रहे :-

1	श्री हरमिन्दर राज सिंह	प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।	अध्यक्ष
2	श्री मदन लाल बिन्द	गैर सरकारी।	उपाध्यक्ष
3	श्री अच्छे लाल निषाद	गैर सरकारी।	उपाध्यक्ष
4	श्री हीरा लाल कश्यप	गैर सरकारी।	उपाध्यक्ष
5	श्री अनिल सन्त	आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद।	सदस्य
6	श्री पी0एस0 बिष्ट	शोध अधिकारी, प्रतिनिधि प्रमुख सचिव, सार्वजनिक उद्यम विभाग, उ0प्र0शासन	सदस्य
7	श्री राज कुमार गर्ग	प्रतिनिधि निदेशक, सी0बी0आर0आई0, रूड़की।	सदस्य
8	श्री एन0आर0 वर्मा	मुख्य नगर एवं ग्राम्य नियोजक, उ0प्र0।	सदस्य
9	श्री यू0 के0 गुप्ता	वित्त नियंत्रक, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद।	सदस्य
10	श्री एस0 एन0 राम	मुख्य अभियंता, उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद।	सदस्य

विशेष आमंत्री

11	श्री मुकेश कुमार मेश्राम	उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ	वि0आमंत्री

सर्वप्रथम आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद ने, निदेशक मण्डल तथा आवास एवं विकास परिषद की ओर से अध्यक्ष महोदय का स्वागत किया। इसके पश्चात परिषद बैठक सम्पन्न हुई जिसमें विभिन्न मदों पर निम्न प्रकार निर्णय लिये गये।

मद सं0	विषय	निर्णय
203/1	परिषद की 202वीं बैठक दिनांक 23 मई, 2008 के कार्यवृत्त की पुष्टि।	कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।
203/2	परिषद की 202वीं बैठक दिनांक 23 मई, 2008 की अनुपालन आख्या।	अनुपालन आख्या अवलोकित की गयी।

भूमि अर्जन अनुभाग

203/3	अरतौनी भूमि विकास एवं गृह स्थान योजना संख्या–5, आगरा के नियोजन समिति की संस्तुतियाँ एवं परिषद अधिनियम 1965 की धारा–31(ए) की स्वीकृति के संबंध में।	प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
203/4	जागृति विहार योजना संख्या–11, मेरठ में अर्जित भूमि के प्रतिकर भुगतान हेतु करार नियमावली के अन्तर्गत संबंधित कृषकों से समझौता किए जाने का प्रस्ताव।	निर्देश दिये गये कि भूमि के दर के सम्बन्ध में आयुक्त, मेरठ मण्डल से भी पुष्टि कराकर प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाये।

203/5	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–28 (लखनऊ से फैजाबाद) के चार लेन चौड़ीकरण हेतु भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को परिषद की इन्दिरा नगर विस्तार व पूर्वी विहार योजना के अन्तर्गत आने वाली भूमि को दिए जाने के संबंध में।	प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
203/6	वृंदावन योजना संख्या–4, लखनऊ में समाविष्ट ग्राम हैवतमऊ मवैया मजरा ईश्वरीखेड़ा खसरा संख्या 2442 आबादी की भूमि पर निर्मित भवन को तोड़कर सड़क निर्माण करने एवं रिट याचिका संख्या 4415/एम0बी0/2007 श्रीमती गंगा देवी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य के प्रत्यावेदन निस्तारण के संबंध में।	प्रस्ताव को अनुमोदित करते हुए नियत किया गया कि भूमि व भवन के सम्बन्ध जो मानक निर्धारित है उसी के अनुरूप मूल्यांकन करने की पूर्ण जिम्मेदारी मूल्यांकन कर्ता की ही होगी।

प्रशासन अनुभाग

203/7	श्री चन्द्रमा राम, अधिशासी अभियंता को पूर्वगामी तिथि से प्रोन्नति एवं वरिष्ठता दिए जाने के संबंध में।	अनुमोदित करते हुए प्रस्ताव शासन को प्रेषित करने के निर्देश दिये गये।
203/8	परिषद सेवकों की चिकित्सा परिचर्या के संबंध में।	ब्यूरो के निर्देशो के अनुरूप कार्यवाही हेतु अनुमोदन किया गया।
203/9	चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति दावों पर निदेशक मण्डल की स्वीकृति के संबंध में।	प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
203/10	सहायक आवास आयुक्त (वेतनमान 8000–13500) के 01 पद को उप आवास आयुक्त (वेतनमान रू0 10000–15200) के पदों में उच्चीकृत किए जाने के संबंध में।	उप आवास आयुक्त के पद के मानक का परीक्षण करते हुए प्रस्ताव आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाये।
203/11	शासन द्वारा श्री सी0पी0शर्मा, नगर नियोजक को परिषद में मुख्य वास्तुविद नियोजक के रिक्त पद पर 03 वर्ष हेतु प्रतिनियुक्ति पर की गयी तैनाती के संबंध में।	निर्देश दिये गये की शासन के संज्ञान में यह तथ्य लाते हुए कि परिषद में मुख्य वास्तुविद नियोजक का पद प्रतिनियुक्ति का पद नही है प्रकरण शासन को संदर्भित कर मार्ग दर्शन प्राप्त किया जाये।

संपत्ति प्रबंध अनुभाग

203/12	श्रीमती आरती सिंह अस्थि विकलांग को वृंदावन में आबंटित अल्प आय वर्ग भवन 10बी/678 के विरुद्ध देय बकाया धनराशि पर लगे ब्याज को माफ करने के संबंध में।	श्रीमती आरती सिंह की विकलांगता की विशेष परिस्थितियों को देखते हुए अतिरिक्त दण्ड ब्याज माफ करने का निर्णय लिया गया।
203/13	परिषद की वसुन्धरा योजना, गाजियाबाद में विस्थापितों/माननीय सांसदों/माननीय विधायकों को भू–खण्ड आबंटन एवं पक्षी बिहार से प्रभावित भू–खण्डों के परिवर्तन के संबंध में।	पक्षी विहार से प्रभावित भूखण्डो के परिवर्तन का अनुमोदन देते हुए निर्देश दिये गये कि शेष के लिए प्रस्ताव शासन को संदर्भित किया जाये।
203/14	वसुन्धरा योजना गाजियाबाद में श्री माम चन्द्र कर्दम को प्रदिष्ट भवन संख्या–16/412 के संबंध में।	प्रस्ताव निरस्त करते हुए निर्देश दिये गये कि परिषद की सामान्य प्रक्रिया के अन्तर्गत कार्यवाही की जाये।

203/15	वसुन्धरा योजना, गाजियाबाद में स्थित व्यावसायिक बिल्डर्स भूखण्ड संख्या–18/सी–5 के पुनर्जीवन उपरान्त एफ0ए0आर0 को पुनर्जीवित करने के संबंध में।	पूर्व में 1.2 एफ.ए.आर. पर भूखण्ड लेने की सहमति के आधार पर पुर्नजीवन हुआ है अतः एफ.ए.आर. 2.75 किये जाने का औचित्य नही है। संस्था नियमानुसार Purchasable F.A.R. लेने की कार्यवाही कर सकता है।
203/16	सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत नगरीय क्षेत्र में प्राथमिक शिक्षा हेतु परिषदीय विद्यालयों की स्थापना हेतु आवास विकास परिषद् एवं विकास प्राधिकरणों द्वारा संचालित होने वाली आवासीय योजनाओं के अन्तर्गत 500 वर्ग मीटर भूमि बेसिक शिक्षा परिषद को निःशुल्क आबंटित करने के संबंध में।	निर्णय लिया गया कि निर्बल वर्ग/ई0डब्लू0एस0/मा0 कांशीराम योजना से आच्छदित कालोनी में ही प्राथमिक विद्यालय हेतु 500 वर्ग मी0 भूमि बेसिक शिक्षा परिषद को निःशुल्क आवंटित करने की कार्यवाही की जाये।

वास्तुकला एवं नियोजन अनुभाग

203/17	बागपत नगर को परिषद कार्यक्षेत्र में सम्मिलित करने के संबंध में।	प्रस्ताव अनुमोदित करते हुए निर्देश दिये गये कि बागपत नगर एन.सी.आर. 2021 व नवगठित प्राधिकरण क्षेत्र होने के कारण आवास एंव विकास परिषद द्वारा उनसे समन्वय करते हुए योजना संचालन की कार्यवाही की जायेगी।
203/18	परिषद की 202वीं बैठक के मद संख्या–2 पर पारित परिषद निर्णय के अुनपालन में वस्तु स्थिति का विवरण अवलोकनार्थ।	निर्देश दिये गये कि प्रश्नगत ओपेन स्पेस के भू–उपयोग को योजना में किसी अन्य स्थान से परिवर्तित करते हुए कम्युनिटी सेन्टर आदि के निर्माण की सम्भावना का परीक्षण किया जाये।
203/19	इण्टीग्रेटेड टाउनशिप नीति के अधीन बल्क भूमि के आबंटन के संबंध में।	शासनादेश अंगीकृत किया गया।

लेखा अनुभाग

203/20	परिषद कार्मिकों के वेतन से सी0पी0एफ0 अभिदान हेतु उनके मूल वेतन एवं मंहगाई भत्ते को जोड़कर कटौती किए जाने के संबंध में।	शासन द्वारा निर्धारित मानको के अनुरूप ही कार्यवाही की जाये।

भूमि अर्जन अनुभाग

203/21	रजदेपुर योजना गाजीपुर में समाविष्ट खसरा संख्या–160 की भूमि में से 875 व0मी0 भूमि मन्दिर/धर्मशाला भवन को अवमुक्त करने के संबंध में।	प्रस्ताव स्थगित किया गया।

प्रशासन अनुभाग

203/22	निजी सचिव पद का वेतनमान संशोधित किए जाने के संबंध में।	प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

203/23	वास्तुविद सहायक ग्रेड–2 को वास्तुविद सहायक ग्रेड–1 में संविलियन किए जाने के फलस्वरूप संविलियन की तिथि से वेतन मान रू0 8000–275–13500 अनुमन्य किए जाने के संबंध में।	प्रस्ताव स्थगित किया गया।
203/24	परिषद कार्मिकों के आकस्मिक निधन पर उनके आश्रितों को क्षतिपूर्ति आधार (कम्पेन्सेन्ट्री ग्राउण्ड) पर रोजगार देने के संबंध में।	प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
203/25	सहायक श्रेणी–तृतीय के पद पर प्रोन्नति की कार्यवाही किए जाने के संबंध में	प्रस्ताव इस शर्त के साथ अनुमोदित किया गया कि प्रोन्नति पाने वाले कर्मचारियो के पद तब तक रिक्त रहेगें जब तक पदोन्नति के पद पर अधिसंख्य पदों की स्थिति समाप्त नही हो जाती।
203/26	परिषद कर्मियों को 01 जनवरी, 2008 से शासकीय कर्मियों की भॉति मॅहगाई भत्ता अनुमन्य किए जाने के संबंध में।	प्रस्ताव अनुमोदित करते हुए शासन को सदर्भित करने का निर्णय लिया गया। यह भी निर्देश दिये गये कि भविष्य में निदेशक मण्डल की बैठको में सर्वप्रथम आवास एंव विकास परिषद के कार्य कलापों, लक्ष्यो के सापेक्ष उपलब्धि विशेष रूप से वित्तीय स्थिति, सम्पत्ति निस्तारण, भूमि अर्जन, निर्माण एंव विकास आदि की टिप्पणी प्रस्तुत की जाय।

मद संख्या 203/27 से 203/33 तक के प्रस्तावों पर समयाभाव के कारण विचार नही हो सका, जिन्हें आगामी बोर्ड बैठक में विचार करने के निर्णय के साथ बैठक सम्पन्न हुयी।

(शहाबुद्दीन मोहम्मद)
अपर आवास आयुक्त एवं सचिव

(अनिल संत)
आवास आयुक्त

अनुमोदित

(हरमिन्दर राज सिंह)
अध्यक्ष

पुष्टि की गयी

(अध्यक्ष)